संख्या-1/सा-3-482/दस-2014-308/97

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक : 20 मई, 2014

विषय:- राज्य सरकार के पेंशनरों / मृत कर्मचारियों की अविवाहिता / विधवा / तलाकशुदा पुत्रियों का नाम पारिवारिक पेंशन हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाना।

महोदय,

शासनादेश संख्या-सा-3-1508/दस-2008-308/97, दिनॉक 08-12-2008 द्वारा दिनॉक 01-01-2006 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/ मृत सरकारी कर्मचारियों / पेंशनरों की अविवाहिता/ तलाकशुदा/ विधवा पुत्रियों को शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन, 25 वर्ष की आयु के उपरान्त भी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य की गयी है। दिनॉक 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत राजकीय कर्मचारियों /पेंशनरों की अविवाहिता / तलाकशुदा / विधवा पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु के उपरान्त भी पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था शासनादेश संख्या-सा-3-1665/दस-2012-308/97, दिनॉक 03-12-2012 द्वारा की गयी है।

2- दिनॉक 03-12-2012 के उपर्युक्त शासनादेश में यह व्यवस्था की गयी है कि ऐसे प्रकरण जिनमें अविवाहिता / विधवा / तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन हेतु आश्रितों की सूची में शामिल नहीं किया गया है, उन प्रकरणों में पेंशन प्रपत्र के भाग-2 में संबंधित पेंशनरों /पारिवारिक पेंशनरों द्वारा ऐसी पुत्रियों के नाम एवं अन्य विवरण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष के माध्यम से पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को पारिवारिक पेंशन हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त प्रयोजन हेतु पेंशन प्रप्रत्र के भाग-2 का उपयोग किये जाने के बिन्दु पर शासन को इस आशय के प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि पेंशन प्रपत्र के भाग-2 के प्रयोग में कतिपय व्यवहारिक कठिनाईयाँ आ रही हैं।

4- उपर्युक्त पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामले जिनमें पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर अभी जीवित हों तथा उनकी अविवाहिता/विधवा / तलाकशुदा पुत्री/पुत्रियों का/ के नाम पात्रता सूची में सम्मिलित न हों, के नाम पात्रता सूची में अंकित किये जाने हेतु इस आदेश के साथ संलग्न रूप-पत्र-1 में यथेष्ट विवरण् निर्दिष्ट अभिलेखों / प्रमाण-पत्रों के साथ पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष के माध्यम से पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

यदि पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो चुकी हो तथा अविवाहिता/विधवा/ तलाकशुदा पुत्रियों का / के नाम पात्रता सूची में सम्मिलित न हों, तो ऐसी पुत्री /पुत्रियों द्वारा पारिवारिक पेंशन हेतु पात्रता सूची में अपना/ अपने नाम सम्मिलित किये जाने हेतु आवेदन पेंशन प्रपत्र के भाग-2 पर, निर्दिष्ट अभिलेखों/ प्रमाण-पत्रों के साथ कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष के माध्यम से पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। जिन प्रकरणों में, ग्रेच्युटी का भुगतान पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर को हो चुका हो, उनमें पेंशन प्रपत्र के भाग-2 में अंकित शब्द समूह- "मृत्यु ग्रेच्युटी" को काट दिया जायेगा।

5- कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित एवं अग्रसारित आवेदन निर्धारित रूप पत्र प्राप्त होने पर संबंधित पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा पारिवारिक पेंशन हेतु पात्रता सूची में अविवाहिता/ विधवा/ तलाकशुदा पुत्रियों का नाम वरीयता क्रम में यथानियम यथास्थान अंकित कर लिया जायेगा तथा संगत शासनादेशों के अधीन उन्हें नियमानुसार पारिवारिक पेंशन का भुगतान किये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

6- दिनॉक 01-01-2006 के पूर्व तथा उक्त तिथि को अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त / मृत कर्मचारियों / पेंशनरों की अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा पुत्रियों के प्रकरण इस आदेश से आच्छादित होंगे।

<u>संलग्नक - यथोक्त।</u>

भवदीय,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-सा-3-482(1)/दस-2014-308/97, तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

3- समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

5- समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>रूप-पत्र-1</u>

सेवा में,

कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष का पदनाम तथा पता,

....

....

विषय:- अविवाहिता/ विधवा / तलाकशुदा पुत्री/पुत्रियों के नाम पारिवारिक पेंशन हेतु पात्र सदस्यों की सूची में सम्मिलित किया जाना।

महोदय,

मुझे पी0पी0ओ0 संख्या................................द्वारा पेंशन / पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गयी है जिसका आहरण मेरे द्वारा ....कोषागार से किया जा रहा है। संबंधित विवरण निम्नानुसार है :-

1-सरकारी कर्मचारी का नाम ....

2-कार्यालय जहॉ से सेवानिवृत्त हुए...

3-सेवानिवृत्ति की तिथि...

4-पी0पी0ओ0 संख्या..

5-पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि एवं राशि..

6-पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ होने के तिथि एवं राशि...

7-पेंशनर /पारिवारिक पेंशनर का बैंक बचत खाता संख्या..................................

2- पेंशन प्रपत्र में मेरी अविवाहिता / विधवा/ तलाकशुदा पुत्री जो अपने भरण-पोषण के लिये पूर्णतया मुझ पर आश्रित है, का नाम पारिवारिक पेंशन हेतु पात्र सदस्यों में सम्मिलित नहीं है। अनुरोध है कि कृपया अधोलिखित विवरण के अनुसार मेरी अविवाहिता / विधवा / तलाकशुदा पुत्री / पुत्रियों के नाम वित्त(सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-सा-3-1508/दस-2008-308/97, दिनॉक 08-12-2008 एवं संख्या- सा-3-1665/दस-2008-308/97, दिनॉक 03-12-2012 के प्राविधानों के अनुसार पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र सदस्यों की सूची में सम्मिलित करने का कष्ट करें:-

क्र0 सं0	नाम	प्रास्थिति (अविवाहित/ विधवा/ तलाकशुदा)	जन्मतिथि (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	वैधव्य/ तलाक की तिथि (पति की मृत्यु /तलाक के सक्षम न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि संलग्न की जाये)	बचत बैंक खाता संख्या
1	2	3	4	5	6

<u>*नोट:-</u>उपर्युक्त तालिका में वर्णित पुत्री/ पुत्रियों की पासपोर्ट आकार की कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित फोटो तीन प्रतियों में तथा सत्यापित निदर्शन हस्ताक्षर इस आवेदन पत्र के साथ, सादे कागज पर प्रस्तुत की जायें।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>घोषणा</u>

मैं एतदद्वारा घोषणा करता /करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया उपर्युक्त विवरण पूर्णतया सही है तथा उक्त विवरण में उल्लिखित पुत्री / पुत्रियों का विवाह/ पुनर्विवाह नहीं हुआ है तथा वह / वे मुझ पर आश्रित हैं। यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत विवरण त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसके आधार पर पारिवारिक पेंशन का भुगतान कर दिया जाता है तो पारिवारिक पेंशन तत्काल बंद कर दी जाये तथा भुगतान की गयी धनराशि वसूल कर ली जाये।

दो साक्षियों के हस्ताक्षर (दिनॉक सहित)

(पेंशनर/ पारिवारिक पेंशन के हस्ताक्षर दिनॉक सहित)

1- नाम...
पता..(हस्ताक्षर)

2- नाम...
पता..(हस्ताक्षर)

(कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर दिनॉक सहित)

http://shasanadesh.up.nic.in